<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 36/21 GCMS NO 2021/58

1. अब्दुल जलील
2. अब्दुल जाहिद पुत्रान अजीज जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली

अपीलांट

बनाम

1. अब्दुल रहीम
2. मईनुददीन पुत्रान हफीज
3. साकरी बेवा सईद
4. सुहेल पुत्र सईद जातियान मुसलमान निवासीयान नौचौकिया मोहल्ला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 2/17 निर्णय दिनांक 22.3.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली )

अभिभाषक अपीला0 श्री रमेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री लियाकत अली

दिनांक 24.10.2024

## <u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.3.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनरथ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 2 4 के पिता एवं रेस्पो/वादी संख्या 3 के पति द्वारा एक वाद पत्र धारा 53,88,188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 2774,2775,2773,2779,2780,2781,2782, 2783,2784,2785,2786,2927 कुल किता 12 वाके ग्राम कस्बा करौली मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 1 की जैर खाता है। प्रतिवादी न0 1 ने उक्त आराजीयात को कभी भी काश्त नही किया है व हमेशा मजदूरी करता है। वादीगण ही हमेशा से अपने पिता के समय से ही उक्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने ही सरकारी लगान अदा किया है। आराजीयात का काबिले काश्त काफी पैसा लगाकर तैयार किया है। आराजी ख0न0 2781 मे निजी लागत से सम्वत 2016 मे कुआ बनवाया है। महज चूक के कारण वादीगण को बिना सूचना दिये सरकारी मुलाजीमान की गलती से सरकारी रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 1 व उसके पूर्वज का नाम दर्ज हो गया। जो महज एक पेपर एन्ट्री है। आराजीयात पर प्रतिवादी [illegible] कभी काश्त नही किया गया है। इस कारण उसके इस आराजीयात पर हक हकूक [illegible] है। वादीगण इस पेपर एन्ट्री को दुरूस्त कराने के अधिकारी है एवं वादीगण अपना [illegible] कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी न0 1 लठठ वाला पैसे वाला व्यक्ति है जो प्रतिवादी न0 2 से साज कर हमारी आराजीयात को हमसे छीनने पर आमादा है। दिनांक 5.2.91 को प्रतिवादीगण आराजीयात पर आये एवं वहॉ से हमे भागने के लिए कहा और कहा कि इस आराजीयात से तुम्हारा कोई वास्ता नही है। तुम्हारा कोई हिस्सा नही है ना ही देगे। इस वाद कारण उत्पन्न होने के कारण दावा करना लाजमी हुआ। प्रतिवादी न0 2 सत्तार आदतन लडाकू व्यक्ति है जो जमीन मुतनाजा पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः दावा वादी डिक्री किया जावे कि आराजीयात मुतनाजा के वाहिद खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं सरकारी रिकार्ड मे इन्द्राजात वादीगण के हक मे किये जावे। यदि किसी कारणवश प्रतिवादी का रिकार्ड मे पजेशनर हिस्सा माना जावे तो बंटवारे की डिक्री इस खुलासे के साथ की जावे कि वादि न0 1 का 1/3 हिस्सा व वादी न0 2 व 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा जो रिकार्ड के मुताबिक है का खाता अलग अलग कायम किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र दिनांक 25.11.2000 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से मौके की बंटवारा स्कीम तलब की जाकर दिनांक 13.8.2007 को प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार वाद फाईनल डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाट/वादीगण के वारिसान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत दिनांक 28.2.17 को पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी दिनांक 22.3.21 को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीयान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि दर0 प्रार्थी आर्डर 9 रूल 13 सीपीसी को समझने मे भूल की है। दर0 के पैरा न0 15 मे उल्लेख है कि प्राथमिक डिक्री विभाजन स्कीम तथा फाईनल डिग्री की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। राजस्व रिकार्ड मे शामलाती खातेदारी दर्ज है। शामलाती काश्त है। विभाजन स्कीम एवं फाईनल डिक्री की दर0 पेश होने तक कोई क्रियान्विति नही हुई। फाईनल डिक्री एक गुप्त कागजी दस्तावेज है जिसकी प्रार्थीगण को 22.2.17 को नकल लेने पर तथा रेस्पो0 द्वारा दीवानी मुकदमे मे इस बात की जानकारी कराने तथ नकल डिक्री प्राप्त करने पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया था। जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मनन नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री उभयपक्ष की मौजूदगी मे जारी ... तथ्य अंकित किया है। प्राथमिक डिक्री के समय अपीलार्थी के पिता ... प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2000 को निर्णित की गई थी। उस समय अपीलार्थी ... के पिता अजीज जीवित थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 4.3.2004 को अपीलार्थीगण के पिता अजीज का इन्तकाल हो गया। नियमानुसार दावे मे अजीज के वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत कोई कार्यवाही नही की गई तथा वादी संख्या 3 हफीज पुत्र असनाद के वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत कोई कार्यवाही नही की गई। हफीज का इन्तकाल सन 2000 से पूर्व ही हो चुका था। फाईनल डिक्री दिनांक 13.8.2007 को पारित की गई है। प्राथमिक डिक्री के बाद सन 2000 से 2007 तक यानि 7 वर्ष तक पत्रावली इन्तजार विभाजन स्कीम मे अथवा गुमनामी मे चलती रही बिना किसी आदेश के पत्रावली गुमनाम रही । विभाजन स्कीम दिनांक 2.3.06 के आधार पर फाईनल डिग्री दिनांक 13.8.07 को बनाई गई है। इस दौरान प्रार्थीगण को विधिक प्रतिनिधी बनाने हेतु कोई कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा नही की गई। क्योकि विभाजन स्कीम दिनांक 2.3.06 से पूर्व ही दिनांक 4.3.04 को को वादी न0 2 अजीज का देहान्त हो चुका था। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को विधि प्रतिनिधी के नोटिस जारी किये बगैर पत्रावली मृतक व्यक्ति वादी न0 2 अजीज के खिलाफ चलती रही है। अजीज की मृत्यु के बाद अजीज के वकील का भी वकालतन उपस्थिति खत्म हो गई। इस प्रकार फाईनल डिक्री मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई है। विभाजन स्कीम फरीकेन की उपस्थिति मे फरीकेन के हस्ताक्षर कराना यानि फरीकेन के हस्ताक्षर से विभाजन स्कीम राजस्व निरीक्षक द्वारा लिखा जाना गलत है। विभाजन स्कीम पर अपीलार्थीगण के पिता के कोई हस्ताक्षर नही है। अपीलार्थीगण की तो विधि अनुसार विधिक प्रतिनिधी बनाने की कोई कार्यवाही पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार मृतक द्वारा विभाजन स्कीम पर सहमति देने का प्रश्न ही नही उठता। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण मृतक अजीज के वारिसान को विधि अनुसार प्रतिनिधी बनाने हेतु रिमाण्ड की जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय मे नजीरन व अजीज व हफीज के वारिसान बतौर मुकदमे मे फरीक दर्ज किये गये। सलीम,जलील,कलाम, जाहिद पुत्रान अजीज नन्नी बेवा अजीज फातमा,सलीम,सायरा,साजिदा पुत्रीयां अजीज को बतौर मुकदमे मे दर्ज किया है तथा हफीज के वारिसान रहीम,मईनुद्दीन ,शांकरी,सुहैल बतौर फरीक दर्ज मुकदमा है। मजीदा का मरना 28.1.07 बताया है जबकि बंटवारा स्कीम दिनांक 2.3.06 को तैयार की गई है जिसमे मजिदा के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा उसके बाद फाईनल डिक्री बनाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय सम्पूर्ण काननी कार्यवाही करने के पश्चात ही फाईनल डिक्री जारी की गई है। इसन तमात तथ्यो की जानकारी अपीलांट/वादीगण को है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादीगा/अपीलांट प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिंकी किया गया है। इस प्रकार अपीलांट के सभी तथ्य झूठे एवं मनगढन्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय डिक्री जारी नही की गई है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं फाईनल डिक्री की कोई अपील दायर नही की गई है। केवल [illegible] न्यायालय का समय बर्बाद करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 [illegible] पेश किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एक पक्षीय डिक्री नही किया [illegible] उभयपक्ष की मौजूदगी मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baid
Date: 2025.03.27 14:34:43 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिकी किया जाना अंकित कर तथा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतिम डिकी के विरूद्व प्रार्थना पत्र 10 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज किया गया है। जो विधि अनुसार है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र अपीलांट/वादीगण की मां नजीरन एवं अपीलांट/वादीगण के पिता अजीज द्वारा धारा 53 , 88 एवं 188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 25.11.2000 को प्राथमिक डिकी जारी की गई। तत्पश्चात तहसीलदार करौली से विभाजन स्कीम मंगवाई जाकर फाईनल डिकी दिनांक 22.2.17 को फाईनल डिकी पारित की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिकी जिस दिनांक को जारी की गई है उससे पूर्व वादी अब्दुल अजीज के वारिसान को कायम मुकान नही बनाया जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्व डिकी जारी की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिकी करने से पूर्व वादी संख्या 2 अजीज के जायज वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर ही फाईनल डिकी जारी की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 10 वर्ष पश्चात पेश करने के कारण ही खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई विधिक कारण अंकित नही किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 2/17 निर्णय दिनांक 22.3.21 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस बताया कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली द्वारा वाद संख्या 266/98 मे एक पक्षीय आदेश पारित किये गये है। इस संदर्भ मे पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे एक पक्षीय आदेश की संज्ञा दी जा सके परन्तु न्यायहित मे यदि अपीलांट/प्रभावित पक्षकार चाहे तो वे फाईनल डिकी दिनांक 13.8.07 की अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner